सत्यमेव जयते

सं.1(9)/2021-पी & पी डब्ल्यू(एच)-7472

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

8वीं मंजिल, बी-विंग,
जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 22 सितंबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन।

कोविड महामारी को देखते हुए, सभी पेंशन संवितरण बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे शाखाओं में आने वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय उचित सामाजिक दूरी के उपायों के साथ-साथ कोविड के अनुरूप उचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करें। **इस कार्य के लिए तैनात किए गए अधिकारियों को सभी टीके लगे हों** और वे पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान करते समय अधिक से अधिक सावधानी बरतें। बैंकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसे उपाए करें जिनसे जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के दौरान शाखाओं में कम से कम भीड़ हो।

2. डोरस्टेप बैंकिंग सेवा, जिसके अंतर्गत पेंशनभोगियों के घर से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भी एकत्रित किया जाता है, महामारी के परिप्रेक्ष्य में बुजर्ग और बहुत ही दुर्बल वर्ग को सेवा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगियों के घरों में जाने वाले **बैंकों के सभी प्रतिनिधियों को सभी टीके लगे हों।** उन्हें उचित मास्क और सैनिटाइज़र दिए जाएं और यह सलाह दी जाए कि बायोमैट्रिक उपकरणों के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय वे अधिक से अधिक सावधानी बरतें। इन बायोमेट्रिक उपकरणों को प्रतिनिधि द्वारा हर बार इस्तेमाल से पहले और बाद में सैनिटाइज़ किया जाए। ये निर्देश इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) द्वारा "जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सेवा" के लिए तैनात डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों पर भी लागू होंगे।

3. चूंकि वरिष्ठ पेंशनभोगियों (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) को 1 अक्टूबर, 2021 से जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है, इसलिए सभी पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि वे अक्टूबर, 2021 से पूर्व **आरबीआई के अनुमेय दिशा-निर्देश के तहत जीवन प्रमाणपत्र की वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) पद्धति को सक्षम करें**। मौजूदा महामारी में, यह विकल्प वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और "सुविधापूर्ण जीवन" सुनिश्चित करेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राजेश कुमार

(राजेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषनं:- 23310108

प्रति,

1. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी (सूची के अनुसार)
2. प्रमुख, बीडीईजी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी)

प्रतिलिपि:-

i सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
ii. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली